

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

परियोजना समिति की 151 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

परियोजना समिति की 151 वीं बैठक माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2016 को प्रातः 11:00 बजे राजस्थान आवासन मण्डल के मण्डल कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:—

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. | श्री ओ. पी. मीणा,
अध्यक्ष,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती इन्दिरा चौधरी,
मुख्य नगर नियोजक
नगर नियोजन विभाग
राजस्थान सरकार, जयपुर। | सदस्य |
| 3. | श्री के. सी. मीना,
मुख्य अभियन्ता—प्रथम,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 4. | श्री जी.एस. बाघेला,
मुख्य अभियन्ता—द्वितीय,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 5. | श्री नथु राम,
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |
| 6. | श्री के. के. माथुर,
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—द्वितीय,
राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर। | सदस्य |
| 7. | श्री वी. के. माथुर,
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—तृतीय,
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर। | सदस्य |

सदस्य-सचिव

8. श्री अरुण चतुर्वेदी,
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

9. श्री मृणाल जोशी,
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

10. श्री अरुण जोशी,
जन सम्पर्क अधिकारी
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही सभी उपस्थित सदस्यों व अन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुये प्रारम्भ की गयी। समिति द्वारा एजेण्डा पर चर्चा पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार बिन्दुवार निर्णय लिये गये:—

एजेण्डा नं 1	परियोजना समिति की 150 वीं बैठक दिनांक 11.01.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।
निर्णय	<p>परियोजना समिति की 150 वीं बैठक दिनांक 11.01.2016 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि निम्न संशोधन के साथ की गई।</p> <ol style="list-style-type: none"> एजेण्डा प्रस्ताव संख्या 19 महला आवासीय योजना जयपुर पर योजना हेतु पानी की उपलब्धता होने तक क्रियाविति नहीं की जावें। एजेण्डा प्रस्ताव संख्या 24 सूरतगढ़ में 10000 वर्ग मीटर भूमि पर अर्फ़ोडेबल हाउसिंग योजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। एजेण्डा प्रस्ताव संख्या 25 हनुमानगढ़ में 10000 वर्ग मीटर भूमि पर अर्फ़ोडेबल हाउसिंग योजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। एजेण्डा प्रस्ताव संख्या 27 जोधपुर शहर की ग्राम बड़ली के सेक्टर-4, में 25000.00 वर्ग मीटर (2.50 हैक्टेयर) व सेक्टर-5, में 25000.00 वर्ग मीटर (2.50 हैक्टेयर) तथा सेक्टर-6, में Block-A 25000.00 वर्ग मीटर (2.50 हैक्टेयर) एवं Block-B 25000.00 वर्ग मीटर (2.50 हैक्टेयर) भूमि पर अर्फ़ोडेबल हाउसिंग योजना के सशोधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था जिसे प्रोजेक्ट की Viability होने पर ही क्रियाविति की जावें।
एजेण्डा नं 2	परियोजना समिति की 150 वीं बैठक दिनांक 11.01.2016 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट।
निर्णय	परियोजना समिति की 150 वीं बैठक दिनांक 11.01.2016 की कार्यवाही विवरण की क्रियाविति की वर्तमान रिपोर्ट सभी जोन से मंगवायें जाने का निर्णय लिया गया।


एजेण्डा नं 3	द्वारकादास पुरोहित मार्ग, मानसरोवर के वाणिज्यिक भूखण्ड के नीचे से सीवर लाईन गुजरने के कारण योजना में परिवर्तन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् निर्णय लिया गया कि यह परीक्षण किया जावे की सीवर लाईन को शिपट करने तथा दुकानों को हटाने एवं आवासीय भूखण्डों को छोटा करने से कौन से विकल्प पर कम व्यय होगा तत्पश्चात् प्रकरण को आगामी परियोजना समिति में प्रस्तुत किया जावे।
एजेण्डा नं 4	सेक्टर-23, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर में प्रस्तावित M.I.G.-A के 108 फ्लैट्स व M.I.G.-B के 108 फ्लैट्स कुल 216 फ्लैट्स (B+S+9) के वास्तुविद् कन्सलटेंट द्वारा बनाये गये संशोधित मानचित्रों को परियोजना समिति द्वारा सक्षम स्वीकृति के संबंध में। प्रश्नगत प्रकरण परियोजना समिति की 150वीं बैठक दिनांक 11.01.2016 एजेण्डा बिन्दु संख्या-अतिरिक्त 02 में रखा गया था। जिसमें लिये गये निर्णयानुसार संशोधित मानचित्र प्रस्तुत है।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् M.I.G. के 108 फ्लैट्स की पार्किंग की आवश्यकता अनुसार बैसमेन्ट रखते हुए स्वीकृति दी गई तथा शेष भूमि पर L.I.G. के फ्लैट्स का प्रस्ताव तैयार कर आगामी परियोजना समिति में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
एजेण्डा नं 5	सेक्टर-8, जोन-81 एवं 84, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर में रिक्त पड़ी भूमि के निस्तारण के पुनः नियोजन के सम्बन्ध में।
निर्णय	प्रकरण को परियोजना समिति की प्रत्याशा में स्वीकृत कर योजना अनुमोदित की जा चुकी है। समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् मंदिर की तरफ 1.50 मीटर के स्थान पर 3.00 मीटर की लेन (गली) छोड़ते हुए प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
एजेण्डा नं 6	दस्तकार नगर योजना के मानचित्र में सौकें के अनुसार परिवर्तन के अनुमोदन बाबत्।
निर्णय	प्रकरण को परियोजना समिति की प्रत्याशा में स्वीकृत कर योजना अनुमोदित की जा चुकी है। समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
एजेण्डा नं 7	जैसलमेर आवासीय योजना में CS हेतु नियोजित भूमि की प्लानिंग के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् निर्णय लिया गया कि आवासीय अभियन्ता द्वारा नगर परिषद् से शोचालय के रख-रखाव सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जावें तत्पश्चात् प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
एजेण्डा नं 8	ग्राम पुष्कर अजमेर में व्यावसायिक भूमि के बदले भूमि देने हेतु योजना में C.S. हेतु प्रस्तावित भूखण्ड को छोटे व्यावसायिक भूखण्डों में विभाजित करते हुए संशोधित मानचित्र के अनुमोदन बाबत्।
निर्णय	प्रकरण को परियोजना समिति की प्रत्याशा में स्वीकृत कर योजना अनुमोदित की जा चुकी है। समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
एजेण्डा नं 9	सेक्टर-13, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर में संस्थानिक क्षेत्र की संशोधित प्लानिंग बाबत्।
निर्णय	प्रकरण को परियोजना समिति की प्रत्याशा में स्वीकृत कर योजना अनुमोदित की जा चुकी है। समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।

एजेण्डा नं 10	'मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015' के अन्तर्गत 4B(ii) के अनुसार हनुमानगढ़ में 10000.00 वर्ग मीटर (1.00 हैक्टेयर) भूमि पर जगह चिह्नित कर अर्फांडेबल हाउसिंग योजना के प्रस्ताव के अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् प्रस्ताव निरस्त किया गया।
एजेण्डा नं 11	चौपासनी योजना, जोधपुर के उद्यान अपार्टमेन्ट, (ब्लॉक संख्या-H व J) H.I.G. के 72 फ्लैट्स (B+S+9) के कन्सलटेंट वास्तुविद् द्वारा बनाये गये भवन मानचित्रों को परियोजना समिति द्वारा सक्षम स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विर्मश किया गया की भवन का निर्माण मौके पर हो चुका है, अब संशोधन की अधिक गुंजाईश नहीं है। अतः स्टील्ट फ्लोर की प्लीन्थ को 0.45 मीटर के स्थान पर 0.50 मीटर रखा जावें। वेन्टीलेशन एवं शॉफ्ट की साईज को निर्माण अनुसार यथावत रखते हुए एवं विचारणीय बिन्दु 1 से 7 की पूर्ति भी सुनिश्चित की जावें। भविष्य में बिना परियोजना समिति के अनुमोदन के बिना कोई भी निर्माण कार्य मौके पर नहीं किया जावें। उक्त शर्तों के साथ प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
एजेण्डा नं 12	जोधपुर के मारवाड़ अपार्टमेन्ट, (ब्लॉक संख्या-E) M.I.G.-B के 36 फ्लैट्स (B+S+9) के कन्सलटेंट वास्तुविद् द्वारा बनाये गये भवन मानचित्रों को परियोजना समिति द्वारा सक्षम स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विर्मश किया गया की भवन का निर्माण मौके पर हो चुका है अतः अब संशोधन की अधिक गुंजाईश नहीं है। अतः स्टील्ट फ्लोर की प्लीन्थ को 0.45 मीटर के स्थान पर 0.50 मीटर रखा जावें। भवन के सैटबैक मौके पर भूमि के आकार रेगुलर नहीं होने के कारण केवल मात्र एक स्थान पर सैटबैक 9.00 मीटर से 8.46 मीटर आता है शेष सैटबैक 9.00 मीटर ही है व निर्माण कार्य हो चुका है अतः सैटबैक यथावत रखते हुए विचारणीय बिन्दु 1 से 7 की पूर्ति भी सुनिश्चित की जावें। भविष्य में बिना परियोजना समिति के अनुमोदन के बिना कोई भी निर्माण कार्य मौके पर नहीं किया जावें। उक्त शर्तों के साथ प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
एजेण्डा नं 13	जोधपुर के मारवाड़ अपार्टमेन्ट, (ब्लॉक संख्या-J) H.I.G. के 36 फ्लैट्स (B+S+9) के कन्सलटेंट वास्तुविद् द्वारा बनाये गये भवन मानचित्रों को परियोजना समिति द्वारा सक्षम स्वीकृति के संबंध में।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विर्मश किया गया की भवन का निर्माण मौके पर हो चुका है अतः अब संशोधन की अधिक गुंजाईश नहीं है। अतः स्टील्ट फ्लोर की प्लीन्थ को 0.45 मीटर के स्थान पर 0.50 मीटर रखा जावें। भवन के सैटबैक मौके पर भूमि के आकार रेगुलर नहीं होने के कारण केवल मात्र एक स्थान पर सैटबैक 9.00 मीटर से 8.46 मीटर आता है शेष सैटबैक 9.00 मीटर ही है व निर्माण कार्य हो चुका है अतः सैटबैक यथावत रखते हुए विचारणीय बिन्दु 1 से 7 की पूर्ति भी सुनिश्चित की जावें। भविष्य में बिना परियोजना समिति के अनुमोदन के बिना कोई भी निर्माण कार्य मौके पर नहीं किया जावें। उक्त शर्तों के साथ प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
एजेण्डा नं 14	ग्राम शाहजहांपुर, तहसील नीमराणा, जिला-अलवर की आवासीय योजना की अवाप्तशुद्धा भूमि का संशोधित मानचित्र अनुमोदन बाबत।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् प्रस्ताव निरस्त किया गया।

एजेण्डा नं 15	द्वारकापुरी योजना सेक्टर-26, प्रताप नगर, सांगोनर, जयपुर के अन्तर्गत फेज द्वितीय की उपलब्ध भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के फ्लेटों की प्लानिंग के संबंध में।
निर्णय	<p>प्रकरण को परियोजना समिति की प्रत्याशा में स्वीकृत कर योजना अनुमोदित की जा चुकी है।</p> <p>जयपुर विकास प्राधिकरण भवन विनियम-2010 की धारा 9.6 तालिका “8” की टिप्पणी (i) “रिहायशी भवनों हेतु मानदण्ड 50 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल के भूखण्डों पर लागू होंगे।” के तहत 50 वर्ग मीटर से कम के क्षेत्रफल में भूखण्डों पर न्यूनतम आन्तरिक मानदण्ड लागू नहीं है, व प्रकरण E.W.S/L.I.G. (G+8) फ्लैट्स के अनुमोदन से सम्बन्धित है। अतः न्यूनतम आन्तरिक पैरामीटर्स में शिथिलता प्रदान करते हुए E.W.S/L.I.G. (G+8) फ्लैट्स की टाईप डिजाईन अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।</p> <p>टाईप डिजाईन से सम्बन्धित स्ट्रक्चरल डिजाईन, सर्विसेज ड्राइंग जैसे:- इलेक्ट्रिकल, सैनेट्री, फॉयर-फाईटिंग आदि अभियांत्रिकी शाखा द्वारा तैयार की जावें व नियमानुसार अपेक्षित NOCs सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त द्वारा सम्बन्धित विभाग से प्राप्त की जावे।</p> <p>समिति द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार विर्मश पश्चात् प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।</p>
एजेण्डा नं 16	सेक्टर-10, महावीर नगर योजना, कोटा में परिजात योजना में व्यावसायिक भूखण्ड में परिवर्तन के अनुमोदन बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् प्रस्ताव निरस्त किया गया।
एजेण्डा नं 17	प्रताप नगर, सेक्टर-17, जयपुर में एम.आई.जी.-ए (एस+9) 72 फ्लैट्स की पार्किंग करने हेतु संशोधित पार्किंग मानचित्र अनुमोदन बाबत्।
निर्णय	प्रकरण को परियोजना समिति की प्रत्याशा में स्वीकृत कर योजना अनुमोदित की जा चुकी है। समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
एजेण्डा नं 18	प्रताप नगर सेक्टर-18, में अन्य सामुदायिक प्रयोजन हेतु उपलब्ध भूमि पर सामुदायिक केन्द्र की प्लानिंग करने बाबत्।
निर्णय	समिति द्वारा विचार विर्मश पश्चात् प्रस्ताव निरस्त किया गया।
एजेण्डा नं 19	ग्राम शिवबाड़ी आवासीय योजना का पुनर्नियोजन करने बाबत्।
निर्णय	प्रकरण आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 20	इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा योजना, जयपुर में छूटे हुए खसरा नम्बरों में जारी अवार्ड के शेष 5 प्रतिशत व्यावसायिक भूखण्ड आवंटित किये जाने हेतु सेक्टर-7 में व्यावसायिक भूखण्ड के नियोजन के अनुमोदन हेतु।
निर्णय	प्रकरण आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 21	स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निर्मित मध्यम आय वर्ग-अ (एस+11) 440 फ्लैट्स गोमती अपार्टमेन्ट, सेक्टर-18, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में विद्युत सप्लाई हेतु भूमि चिन्हित करने एवं कार पार्किंग नियोजन हेतु।
निर्णय	प्रकरण आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा नं 22	मण्डल की आवासीय योजना ग्राम शाहजहाँपुर, तहसील नीमराणा, जिला अलवर में आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के (G+8) के पलेट्स के अनुमोदन के संबंध में।
निर्णय	प्रकरण आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 23	कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर के अन्तर्गत सेक्टर-4 में व्यवसायिक भूखण्ड ब्लॉक (4-एस-1 से 4-एस-10) में भूखण्ड संख्या 4-एस-7, के माप में संशोधन बाबत।
निर्णय	प्रकरण आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
एजेण्डा नं 24	आवासीय योजना जैसलमेर में सामुदायिक भवन की ड्राइंग उपलब्ध करवाने बाबत।
निर्णय	प्रकरण आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक संधान्यवाद समाप्त हुई।


417116

(अरुण चतुर्वेदी)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
सदस्य—सचिव,